संख्या 44 /2018/यू0ओ0 28/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-129जी/2015- न्याय-2

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2018**

विषय- प्रदेश के 05 जनपदों यथा लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर नगर, मेरठ तथा गौतमबुद्ध नगर में नवसृजित कामर्शियल कोर्ट में तैनात अधिकारियों के उपयोगार्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपल्बध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 05 जनपदों यथा लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर नगर, मेरठ तथा गौतमबुद्ध नगर में नवसृजित कामर्शियल कोर्ट में तैनात अधिकारियों के उपयोगार्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन उपल्बध कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- कामर्शियल कोर्ट के क्रियाशील होने के फलस्वरूप सक्षम न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात ही उक्त वाहन आबद्ध किये जायेगे ।

2- धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार बजट व्यवस्था की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा ।

3- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। अस्तु वाहनों का आबन्धन नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक '' 2014-न्याय प्रशासन-00- 105-सिविल और सेशन्स न्यायालय- 00-16-कामर्शियल कोर्ट- 08-कार्यालय व्यय- '' से वहन किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0- ई-12-473/दस-2018 दिनांक 23 मार्च,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>सं0-44 /2018/यू0ओ0 28(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलहाबाद ।
5- न्याय अनुभाग-2 ।
6- वित्त ई- 12 ।
7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।